



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1112]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2008/श्रावण 13, 1930

No. 1112]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2008/SRAVANA 13, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

का.आ. 1935(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अनुसरण में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का आदेश, जो भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का. आ. 1258(अ), तारीख 04 अगस्त, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 1-5/2002-उर्व. विधि]

संजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश 4 अगस्त, 2008 के सं. का.आ. 1258(अ), तारीख 4 अगस्त, 2006 के अनुसार भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2008

S.O. 1935(E).— In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii) vide No. S.O. 1258(E), dated 4th August, 2006, namely :—

In the said order for the words "two years", the words "three years" shall be substituted.

[No. 1-5/2002-Fert. Law]

SANJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published vide No. S.O. 1258(E), dated 4th August, 2008 in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary).